भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 12/2019-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 7 मार्च, 2019

सा-(अ) ..............जि.का.- आयुक्त 2017) 2017 ,केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम ,का ) (12जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा (168 के साथ पठित धारा की 37 के दूसरे परांतक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) उपधारा, परिणद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त करोड़ रुपयों से अधिक है 1.5, अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उस मास के उत्तरवर्ती मास के वें दिन तक11, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,के अधीन प्ररुप जीएसटीआर1- में जावक पदार्थ के व्यौरे देने की समय सीमा को विस्तारित करते हैं।

2. उक्त अधिनियम की धारा के अधीन जुलाई (1) की उपधारा 39 और धारा (2) की उपधारा 38, 2017 से जून, 2019 मास के लिए यथास्थिति, व्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा को तत्परताल राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा.सं. 20/06/16/2018-जीएसटी]

(डा. श्रीपावली एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार